## No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) Government of India Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Department of Personnel & Training

New Delhi, & August, 2017.

Subject:

Recommendations of the Seventh Central Pay Commission – Implementation of decision relating to the grant of Children

Education Allowance.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations made by the Seventh Central Pay Commission on the subject of Children Education Allowance Scheme, the following instructions are being issued in supersession of this Department's OM dated 28-4-2014:

- (a) The amount fixed for reimbursement of Children Education allowance will be Rs.2250/-pm.
- (b) The amount fixed for reimbursement of Hostel Subsidy will be Rs. 6750/-pm.
- (c) In case both the spouses are Government servants, only one of them can avail reimbursement under Children Education Allowance.
- (d) The above limits would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%. The allowance will be double for differently abled children.
- 2. Further, reimbursement will be done just once a year, after completion of the financial year. For reimbursement of CEA, a certificate from the head of institution, where the ward of government employee studies, will be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year. For Hostel Subsidy, a similar certificate from the head of institution will suffice, with the additional requirement that the certificate should mention the amount of expenditure incurred by the government servant towards lodging and boarding in the residential complex. The amount of expenditure mentioned, or the ceiling as mentioned above, whichever is lower, shall be paid to the employee.

- 3. These orders shall be effective from 1st July, 2017.
- 4. Insofar as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and auditor General of India.

Hindi version will follow.

(Navneet Misra)
Under Secretary to the Govt. of India

To

- 1. All Ministries/Departments as per standard mailing list.
- 2. NIC with a request to upload the OM on the website of DoPT.

## सं.27012/02/2017-स्था.(भत्ता)

## भारत सरकार

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 2017

विषयः सातवं केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं-बाल शिक्षा भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय का कार्यान्वयन।

बाल शिक्षा भत्ता स्कीम के विषय पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में इस विभाग के दिनांक 28.04.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में निम्नलिखित अनुदेशों का प्रयोग किया जा रहा है:

- (क) बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 2250/-रुपए प्रतिमाह होगी।
- (ख) छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 6750/- रुपए प्रतिमाह होगी।
- (ग) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही बाल-शिक्षा भत्ते के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है।
- (घ) संशोधित वेतन संरचना में प्रत्येक बार मंहगाई भत्ते के 50% होने पर उपर्युक्त सीमाओं में स्वतः ही 25% की वृद्धि हो जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना होगा।
- 2. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् वर्ष में एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी। बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए, उस संस्था, जहां सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है, के प्रमुख से एक प्रमाण लेना पर्याप्त होगा। इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि पिछले अकादिमिक वर्ष के दौरान उस बच्चे ने उस विद्यालय में अध्ययन किया है। छात्रावास सब्सिडी के लिए संस्था के प्रमुख से एक ऐसा ही प्रमाण पत्र लेना पर्याप्त होगा जिसमें अतिरिक्त रूप इसका उल्लेख करना अपेक्षित होगा कि इस प्रमाण पत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय परिसर में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि का उल्लेख किया

गया हो। उल्लिखित व्यय की राशि, अथवा ऊपर यथाउल्लिखित सीमा, जो भी कम हो, का भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा।

- 3. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।
- 4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

न्बनीत मिश्रा (नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- 1. मानक डाक प्रेषण सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. एनआईसी को इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी के बेवसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।